



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.02.2024

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया हुआ सामान व नगदी बरामद:-

आज दिनांक 21.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को धार्मिक स्थल से चोरी किया हुए सामान व नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 16/17.02.2024 को वादी श्री हरपाल पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम वलवा थाना कोतवाली जनपद शामली द्वारा ग्राम गोगा माढी में स्थित धार्मिक स्थल से अज्ञात चोर द्वारा सामान चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इस्लाम पुत्र जमशेद निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी किया हुआ सामान व 1300/- नगदी।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0 456/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0 457/20 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शामली।

3. मु0अ0सं0 531/20 धारा 2/3 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शामली।

4. मु0अ0सं0 77/24 धारा 380/411 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 युनुस खान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2. है0का0 सोहित थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3. है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व चोरी किये हुए सामान की बिक्री से प्राप्त नगदी बरामद:-

आज दिनांक 21.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी की 01 मोटरसाइकिल व चोरी किये हुए सामान की बिक्री से प्राप्त 3200/- रुपये नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.02.2024 को वादी श्री लोकेश पुत्र ताराचन्द निवासी म्यान कस्बा बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली के घर से एक मोटरसाइकिल व अन्य सामान को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लेने एवं दिनांक 03.02.2024 को वादी श्री अंकित पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम पिण्डौरा थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा पिण्डौरा-सांपला रोड़ पर स्थित धार्मिक स्थल में अज्ञात चोर द्वारा चोरी किये जाने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई थीं। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. राहुल पुत्र बाबू निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की 01 मोटरसाइकिल बजाज रजि-नं0-UP12F-0474 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 54/24 धारा 380,457,411 भादवि थाना झिंझाना)
2. चोरी किये हुए सामान की बिक्री से प्राप्त 3200/- रुपये नगदी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 39/24 व 54/24 धारा 380,457,411 भादवि थाना झिंझाना)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 39/2024 धारा 380/457/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 54/2024 धारा 380/457/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरी0 श्री सुदेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 उपदेश कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 सुरेन्द्र राणा थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा मारपीट कर घायल करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.01.2024 को श्री संजीव पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भनेडा कस्बा एलम थाना कांधला जनपद शामली के साथ करन आदि 02 नफर अभियुक्तगण द्वारा घर में घुसकर गाली गलौच कर मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कांधला को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 21.02.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा मारपीट कर घायल करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.करण पुत्र श्रवण निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0- 01/2024 धारा 323/452/325/326 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 विपिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.का0 सचिन कुमार थाना कांधला जनपद शामली।



जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी/वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 21.02.2024 की रात्रि को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. दीपक पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम करौदा महाजन थाना फुगाना जनपद मु0नगर।
2. दिल्ली उर्फ दिलशाद पुत्र साका निवासी ग्राम बसेड़ा थाना कैराना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में अवैध शराब के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2019 में अभियुक्त अभिमन्यु पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम खेड़की थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध थाना गढीपुख्ता पर मु0अ0सं0 73/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 21.02.2024 को माननीय न्यायालय CJSJ/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त अभिमन्यु उपरोक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम में सुनाई न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त:-

1. अभिमन्यु पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम खेड़की थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI